बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

संकल्प

विषय:– विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं विभाग के अधीन संचालित संस्थानों में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त शिक्षकों के वित्तीय उन्नयन/प्रोन्नति हेतु पदस्थापन/प्रतिनियुक्त की अवधि को शैक्षणिक और अकादमिक/प्रशासन का अनुभव मानते हुए कार्रवाई करने के संबंध में।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् विनियम (डिग्री एवं डिप्लोमा)–2019 के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9631 दिनांक–02.12.2019 एवं संकल्प ज्ञापांक–9632 दिनांक–02.12.2019 द्वारा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान (संवर्गीय संरचना, संकाय मापदण्ड, कैरियर संवर्द्धन स्कीम तथा अन्य सेवा शर्तों एवं बंधेजो सहित) दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत की गई है।

2. वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9631 दिनांक–02.12.2019 एवं संकल्प ज्ञापांक–9632 दिनांक–02.12.2019 की क्रमशः कंडिका–11 एवं कंडिका–12 के अनुसार शिक्षकों को अभातशिप विनियम (डिग्री एवं डिप्लोमा)–2019 के माध्यम से निदिृष्ट प्रावधानों के तहत प्रोन्नति अनुमान्य होगी।

3. वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9631 दिनांक–02.12.2019 एवं संकल्प ज्ञापांक–9632 दिनांक–02.12.2019 की क्रमशः कंडिका–12 एवं 13 में प्रावधान है कि यदि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम–2019 में निर्दिष्ट अनुशंसाओं में कोई संशोधन किया जाता है तो प्रशासी विभाग वित्त विभाग की सहमति से इस संबंध में निर्गत संकल्प को तदनुसार संशोधित कर सकेगा।

4. अभातशिप विनियम (डिग्री)–2019 एवं अभातशिप विनियम (डिप्लोमा)–2019 की क्रमशः कंडिका–7.6 एंव कंडिका–6.6 में **प्रतिनियुक्ति पर संकाय सदस्य** के रूप में कार्यरत रहने की स्थिति में निम्न प्रावधान है :–

"किसी सकांय सदस्य, जो किसी सरकारी सगंठन/स्वायत्तशासी निकाय जैसे डीटीई/अभातशिप/यूजीसी/मा.सं.वि.म/डीएसटी/विश्वविद्यालय आदि में शैक्षणिक/

प्रशासनिक पद पर प्रतिनियुक्ति पर है, को शैक्षणिक और अकादमिक/प्रशासन का अनुभव प्राप्त माना जाएगा तथा एफडीपी, औद्योगिक प्रशिक्षण और 360 डिग्री प्रतिपुष्टि की अपेक्षा से छूट दी जाएगी। यदि किसी संकाय सदस्य ने कम–से–कम 'बहुत अच्छा' कोटि प्राप्त की है, तो उसे प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए इस अधिसूचना के संदर्भ में 360 डिग्री प्रतिपुष्टि के 10 अंकों के पैमाने पर 8 अंकों के समकक्ष माना जाएगा।''

5. कंडिका–4 में अंकित प्रावधान विभाग एवं विभाग के अधीन संचालित अन्य संस्थान यथा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना, बिहार कॉन्सिल ऑन साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तारामंडल, पटना, तारामंडल–सह–विज्ञान संग्रहालय, दरभंगा, उप–क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र एवं नवप्रवर्तन केन्द्र, बोधगया, डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम विज्ञान केन्द्र, पटना में सृजित पदों के विरूद्ध पदस्थापित/प्रतिनियुक्त शिक्षकों पर लागू होंगे।

6. इस पर वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

4/5/26

(कुमार सिद्धार्थ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –वि० प्रा० (II) स्था०–15/2023/ 2547 **/पटना, दिनांक :–** 04.05.26

प्रतिलिपि– सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/कुलपति, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना/परियोजना निदेशक, बिहार कॉन्सिल ऑन साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तारामंडल, पटना/प्राचार्य /प्रभारी प्राचार्य, सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं सभी राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान /प्रभारी पदाधिकारी, तारामंडल–सह–विज्ञान संग्रहालय, दरभंगा/प्रभारी पदाधिकारी, उप–क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र एवं नवप्रवर्तन केन्द्र, बोधगया/प्रभारी पदाधिकारी, डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम विज्ञान केन्द्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/5/24

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –वि० प्रा० (II) स्था०–15/2023/ 2547 **/पटना, दिनांक :–** 04.05.26

प्रतिलिपि– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/सभी विभागीय पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर (अपलोड हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/5/26

सरकार के संयुक्त सचिव।

sec–3/29.04.26